झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्र०स्वी०–201/2014/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेंत्राधीन देवघर जिला के सारठ प्रखंड अंतर्गत तालझरी उद्वह सिंचाई योजना के निर्माण हेतु रू० 40.80 लाख (चालीस लाख अस्सी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेंत्राधीन देवघर जिला के सारठ प्रखंड अंतर्गत तालझरी उद्वह सिंचाई योजना के निर्माण हेतु रू० 40.80 लाख (चालीस लाख अस्सी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस योजना अंतर्गत Intake Well, Pump House का निर्माण Pipe Laying, विद्युत मोटर का अधिष्ठापन के साथ–साथ Electric Connection एवं Mechanical Appliances के कार्य का प्रावधान है।

4. विचाराधीन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तो के साथ दी जाती है–

(i) कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र का आकलन के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जायगा एंव प्राक्कलन के मद एंव मात्रा की जाँच तथा उसकी तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिया जायगा।

(ii) कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जायगा।

(iii) योजनाओं के निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थिति में स्थल पर योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

(iv) विद्युत आपूर्ति का कार्य असैनिक एंव यांत्रिक कार्य के साथ–साथ समानान्तर रूप से किया जायगा।

(v) प्रस्तावित कार्य के कियान्वयन के पूर्व प्राक्कलन में प्रावधानित संरचनाओं की रूपांकण की जॉच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) योजनाओं के कार्यान्वयन् के पूर्व मुख्य अभिंयता, लघु सिचाई दुमका द्वारा कंडिका 4 (i) (ii) (iii) (iv) & (v)का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इन योजनाओं के निर्माण से कुल 42 हे॰ (खरीफ 28 हे॰ एवं रब्बी 14 हे॰) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा। योजना का Incidence of cost रू0 97142 प्रति हे0 एंव B.C.Ratio (10 % ब्याज पर) 2.53 आकलित है।

6. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण किया जायगा।

7. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101–सतही जल–19–लघु सिचांई योजना का निर्माण–05–निर्माण–45 मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

8. इस कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर देवघर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

9. प्रस्तावित कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

11. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्र0स्वी0–201/2014/ ..../ राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्र0स्वी0–201/2014/ ..../ राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, देवघर, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्र0स्वी0–201/2014/ ..../ राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/अधीक्षण अभिंयता, लघु सिंचाई अंचल, देवघर/कार्यपालक अभिंयता, लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्र0स्वी0–201/2014/ ..../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्र0स्वी0–201/2014/ ..../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्र0स्वी0–201/2014/ 39/14-15 प्र.स्वी./राँची, दिनांक 10.10.2014
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)